

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART II—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 337]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 30, 2015/पौष 9, 1937

No. 337]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 2015/PAUSA 9, 1937

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

**जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना**

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2015

**विषय : आस्ट्रेलिया और चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "लो एश मेटलर्जिकल कोक" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत**

**संख्या 14/9/2015-डीजीएडी.**—मै. इंडियन मेटलर्जिकल कोक मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन (आईएमसीओएम) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार भारत में घरेलू उत्पादकों अर्थात् मै. सौराष्ट्र फ्युल्स प्रा. लि., मै. गुजरात एनआरई कोक लि., मै. कार्बन एज इंडस्ट्रीज लि., मै. भाटिया कोक एंड एनर्जी लि. और मै. वसुधा उद्योग प्रा. लि. (जिन्हें आगे याचिकाकर्ता कंपनियां या आवेदक भी कहा गया है) की ओर से पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने और आस्ट्रेलिया और चीन जन. गण. (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित लो एश मेटलर्जिकल कोक (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या मेट कोक या विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) के कथित पाटन के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

2. और यतः प्राधिकारी प्रथमदृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच

कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं, इसलिए प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच की शुरुआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

### विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद लो एश मैटलर्जिकल कोक (मैट कोक) है। विचाराधीन उत्पाद में उच्च एश मात्रा जो 18 प्रतिशत से अधिक हो का अन्य मैटलर्जिकल कोक शामिल नहीं है। लो एश मैट कोक का उत्पादन उच्च तापमान (1100 से 1350 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच) पर आक्सीजन की अनुपस्थिति/विनियमित उपस्थिति में कोकिंग कोल के डेस्ट्रुक्टिव डिस्टिलेशन द्वारा किया जाता है जिससे कोयला मुलायम, तरल और उसके बाद छिद्रित टुकड़ों में पुन-ठोस हो जाता है। मैट कोक कुछ खनिज और अवशिष्ट सामग्री के साथ कार्बन का एक रूप है। मैट कोक का प्रयोग ऐसे उद्योगों में प्राथमिक ईंधन के रूप में किया जाता है जहां भट्टों और भट्टियों में एक समान और उच्च तापमान की जरूरत होती है। मैट कोक का प्रयोग ढलवा लोहा, फाउंड्रीज, लौह अलाय, रसायन, समेकित इस्पात संयंत्रों और अन्य सहित विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। मैट कोक को आम तौर पर किग्रा. या एमटी. में व्यक्त भार के अनुसार उत्पादित किया और बेचा जाता है। संबद्ध वस्तु को सीमाशुल्क शीर्ष 27040030 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। यद्यपि संबद्ध वस्तु को अध्याय शीर्ष 27040030 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है तथापि संबद्ध वस्तु का आयात अन्य सीमाशुल्क शीर्षों अर्थात् 27040090, 27040010, 27040020 आदि में भी किया जा रहा है। तथापि, उक्त सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जाँच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

### समान वस्तु

4. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित की जा रही संबद्ध वस्तु और भारत में पाटित की जा रही संबद्ध वस्तु एक समान हैं। आवेदक ने दावा किया है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित मैट कोक और संबद्ध देशों से आयातित मैट कोक में भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिक, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के अनुसार तुलनीय विशेषताओं वाली हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के 'समान वस्तु' माना जा रहा है।

### घरेलू उद्योग

5. यह आवेदन मै. इंडियन मैटलर्जिकल कोक मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन (आईएमसीओएम) द्वारा अनुसार भारत में लो एश मैटलर्जिकल कोक के घरेलू उत्पादकों अर्थात् मै. सौराष्ट्र फ्युल्स प्रा. लि., मै. गुजरात एनआरई कोक लि., मै. कार्बन एज इंडस्ट्रीज लि., मै. भाटिया कोक एंड एनर्जी लि. और मै. बसुधा उद्योग प्रा. लि. की ओर से दायर किया गया है। इसके अलावा आवेदक ने यह बताया है कि वर्तमान आवेदन ऐसे विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से दायर किया गया है जो अपने मैट कोक के उत्पादन का विपणन/बिक्री कर रहे हैं। यह बताया गया है कि भारत में मैट कोक के उत्पादकों की दो भिन्न-भिन्न श्रेणियां हैं अर्थात् आबद्ध प्रयोग के लिए मैट कोक का विनिर्माण और विपणन/बिक्री के लिए मैट कोक का विनिर्माण। आबद्ध प्रयोग के लिए मैट कोक का उत्पादन करने वाले विनिर्माताओं को वर्तमान जाँच के दायरे से बाहर रखा गया है क्योंकि उनका उत्पाद आयातित वस्तु से प्रतिस्पर्धा नहीं करता है। इसके अलावा, आबद्ध खपत के लिए उत्पादकों का अर्थशास्त्र बिक्री के लिए उत्पादकों से काफी अलग है। पहले वाला विपणन बिक्री, माल सूची आदि से बच जाता है। आवेदक ने बताया है कि ऐसे कुछ इस्पात विनिर्माता हैं जो अपनी आबद्ध खपत के लिए मैट कोक का उत्पादन करते हैं। आवेदक ने ऐसे इस्पात उत्पादकों, जिनका मैट कोक का उत्पादन आबद्ध खपत के लिए होता है के यथा उपलब्ध व्योरे प्रदान किये हैं अर्थात् स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि., टाटा स्टील लि., जेएसडब्ल्यू स्टील लि., जिंदल स्टील एंड पावर लि., भूषण स्टील लि., जयसवाल निको इंडस्ट्रीज लि., राष्ट्रीय इस्पात निगम लि., भूषण पावर एंड स्टील लि., जय बालाजी इंडस्ट्रीज लि. और उषा मार्टिन लि.। आवेदक ने उक्त कंपनियों के लिए उनकी संबंधित वार्षिक रिपोर्ट से व्योरे उपलब्ध कराये हैं कि या तो प्रमुख उत्पादकों द्वारा

उनकी मेट कोक की कोई बिक्री नहीं है या आबद्ध कोक के उनके कुल उत्पादन की तुलना में कुछ उत्पादकों द्वारा बिक्री नगण्य है। इस संबंध में, प्राधिकारी ने रिकार्ड में साक्ष्य से यह देखा है कि प्रथम दृष्टया ये कंपनियां अपनी आबद्ध खपत के लिए मेट कोक का प्राथमिक रूप से प्रयोग कर रही हैं और कुछ मामलों में आबद्ध कोक के कुल उत्पादन की तुलना में उनकी घरेलू बिक्री नगण्य है। अतः आबद्ध उत्पादकों को उत्पादकों की एक अलग श्रेणी माना जा रहा है और घरेलू उद्योग का निर्धारण करने के लिए उन्हें वर्तमान जाँच के दायरे से बाहर रखा गया है।

6. रिकार्ड में उपलब्ध जानकारी के अनुसार पूर्वोक्त पाँच उत्पादकों अर्थात् मै. सौराष्ट्र फ्युल्स प्रा. लि., मै. गुजरात एनआरई कोक लि., मै. कार्बन एज इंडस्ट्रीज लि., मै. भाटिया कोक एंड एनर्जी लि. और मै. बसुधा उद्योग प्रा. लि. का उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है और वह भारतीय उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक है। आवेदन का तीन घरेलू उत्पादकों अर्थात् जिंदल स्टेनलैस लि., श्री अरिहंत ट्रेड लिंक्स इंडिया प्रा. लि. और एन्नोर कोक लि. द्वारा समर्थन भी किया गया है।

7. अतः आवेदन पूर्वोक्त पाँच उत्पादकों की योग्यता के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) और नियम 5 (3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है और यह कि वे नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर 'घरेलू उद्योग' हैं।

### शामिल देश

8. वर्तमान जांच में शामिल देश आस्ट्रेलिया और चीन जन. गण. हैं।

### सामान्य मूल्य

9. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8 के अनुसार यह माना जाता है कि चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के उत्पादक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अधीन कार्य कर रहे हैं। उक्त गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की मान्यता और चीन जन. गण. में प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा उसके खंडन के अधीन चीन जन. गण. के लिए संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का अनुमान नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार किया गया है। आवेदक ने भारत में उत्पादन लागत को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों तथा तर्कसंगत लाभ के साथ विधिवत रूप से समायोजित करके सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।

10. आस्ट्रेलिया के लिए सामान्य मूल्य के संबंध में आवेदक ने अनुरोध किया है कि संबद्ध देश के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की कीमत की सूचना/साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे। तथापि, आवेदक यह सूचना प्राप्त करने में असमर्थ रहा था। अतः प्राधिकारी ने भारत में उत्पादन लागत को विधिवत रूप से समायोजित करके उसके आधार पर आस्ट्रेलिया के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

### निर्यात कीमत

11. आवेदक ने भारत में आईबीआईएस से उपलब्ध सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर दोनों संबद्ध देशों के लिए विचाराधीन उत्पाद के लिए निर्यात कीमत का दावा किया है। भारत में सीमाशुल्क प्रहस्तन और निकासी प्रभार, अंतर्देशीय भाड़े, समुद्री भाड़े, सीमाशुल्क प्रहस्तन और निकासी प्रभार और वैट के गैर-वापसी योग्य हिस्से (केवल चीन जन. गण. के लिए) पर विचार करते हुए कीमत समायोजन किए गए हैं।

### पाटन मार्जिन

12. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत के साथ की गई है जो संबद्ध देशों से पर्याप्त पाटन मार्जिन दर्शाती है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना-द्वार निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया पता चलता है कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है। इस प्रकार पाटनरोधी जाँच की शुरुआत न्यायोचित सिद्ध करने के लिए भारी पाटन मार्जिन के पर्याप्त साक्ष्य हैं।

### क्षति और कारणात्मक संबंध

13. आवेदक ने दावा किया है कि पाटित आयातों से उसे वास्तविक क्षति हुई है और उसने समग्र रूप से और घरेलू उत्पादन और घरेलू मांग के संबंध में आयातों में वृद्धि के अनुसार संबद्ध देशों से कथित पाटन के परिणामस्वरूप क्षति होने का साक्ष्य

प्रस्तुत किया है। संबद्ध देशों से पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की बिक्री, उत्पादन, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्से, मालसूची, कर्मचारियों की संख्या, मजदूरी, लाभ, नियोजित पूंजी पर आय, नकद लाभ आदि में विकृति आई है।

14. आवेदक ने कीमत कमी और कीमत कटौती के साक्ष्य के रूप में प्रतिकूल कीमत प्रभावों का भी दावा किया है। प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी जाँच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों द्वारा आवेदकों को हो रही क्षति के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।

### **जांच अवधि**

15. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2014 से जून, 2015 तक की है। तथापि, क्षति जाँच अवधि में अप्रैल 2011- मार्च 2012, अप्रैल 2012- मार्च 2013, अप्रैल 2013- मार्च 2014 और जांच की अवधि शामिल होगी।

### **सूचना प्रस्तुत करना**

16. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने तथा प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर विहित ढंग और तरीके से जाँच से संगत अनुरोध कर सकता है। सूचना निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत की जा सकती है:-

**निर्दिष्ट प्राधिकारी**  
**पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय**  
**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,**  
**वाणिज्य विभाग**  
**भारत सरकार**  
**चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग,**  
**नई दिल्ली- 110001**

17. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उसका अगोपनीय अंश उपलब्ध कराना होगा।

### **समय-सीमा**

18. वर्तमान जाँच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

19. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। सूचना मूल प्रतियों तथा साफ्ट प्रतियों में प्रस्तुत की जाएं।

### **गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

20. यदि उसके किसी भाग के संबंध में 'गोपनीयता' का दावा किया जाता है तो प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा:—

(क). गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और

(ख). अगोपनीय रूप में अन्य दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि)।

21. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों पाठों की हार्ड कॉपियों के साथ साफ्ट कॉपियां पाँच (5) सैट में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

22. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

23. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

24. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

25. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

26. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

### सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

27. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

### असहयोग

28. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

ए. के. भल्ला, निर्दिष्ट प्राधिकारी

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department Of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

### INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2015

**Sub: - Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of "Low Ash Metallurgical Coke" originating in or exported from Australia and China PR.**

**No.14/9/2015-DGAD:—**M/s Indian Metallurgical Coke Manufacturers Association (IMCOM), on behalf of the domestic producers in India, namely, M/s Saurashtra Fuels Pvt. Ltd., M/s Gujarat NRE Coke Ltd., M/s Carbon Edge

Industries Ltd., M/s Bhatia Coke and Energy Ltd. and M/s Basudha Udyog Pvt. Ltd. (hereinafter referred to as 'petitioner companies' or "the applicants") in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) has submitted an application for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti dumping duty on the imports of alleged dumping of Low Ash Metallurgical Coke (hereinafter referred to as the subject goods or Met Coke or the Product Under Consideration), originating in or exported from Australia and China PR (hereinafter also referred to as the subject countries).

2. And whereas, the Authority prima facie finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries; injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

### **Product under consideration**

3. The product under consideration in the present investigation is Low Ash Metallurgical Coke (Met Coke). The product under consideration does not include other Metallurgical Coke with high ash content which is in excess of 18%. Low Ash Met Coke is produced by destructive distillation of coking coal in the absence/regulation presence of oxygen at high temperatures (ranging between 1100 to 1350 degree centigrade) causing the coal to soften, liquefy and then re-solidify into hard but porous lumps. Met Coke is a form of carbon along with some mineral and residual volatile material. Met Coke is used as a primary fuel in industries where a uniform and high temperature is required in kilns or furnaces. Met Coke is used in various industries including pig iron, foundries, ferro alloys, chemical, integrated steel plants and others. Met Coke is normally produced and sold in terms of weight expressed in KG or MT. The subject goods are classified under Custom Headings 27040030. Although, the subject goods classified under the Chapter Heading 27040030, the subject goods are also being imported in other Customs Headings i.e. 27040090, 27040010, 27040020 etc. The Customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

### **Like Article**

4. The applicant has claimed that the subject goods being produced by the domestic industry are similar to the subject goods being dumped into India. The applicant has claimed that Met Coke produced by the applicants and imported from the subject countries are having comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicants in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

### **Domestic Industry**

5. The Application has been filed by Indian Metallurgical Coke Manufacturers Association (IMCOM) on behalf of the domestic producers of Low Ash Metallurgical Coke in India, namely, Saurashtra Fuels Pvt. Ltd., Gujarat NRE Coke Ltd., Carbon Edge Industries Ltd., Bhatia Coke and Energy Ltd. and Basudha Udyog Pvt. Ltd. Further, the Applicant has stated the present application is filed by or on behalf of the manufacturers who are marketing / selling their production of Met Coke. It is stated that there are two different categories of producers of Met Coke in India, i.e., manufacture of Met Coke for captive use and manufacture of Met Coke for marketing / sales. The manufacturers who are producing Met Coke for their captive use are being excluded from the purview of the current investigation as their production is not in competition with the imported goods. Further, the economics of producers for captive consumption and of producers for sale are very different. The former saves on the costs of marketing sales, inventory etc. The applicant has stated that there are some steel manufacturers who produce Met Coke for their captive consumption. The Applicant has provided the details of the names of the steel producers as available having production of Met Coke for captive consumption, namely, Steel Authority of India Limited, Tata Steel Ltd., JSW Steel Ltd., Jindal Steel & Power Ltd., Bhushan Steel Ltd., Jayaswal Neco Industries Ltd., Rashtriya Ispat Nigam Ltd., Bhushan Power and Steel Ltd., Jai Balaji Industries Ltd. and Usha Martin Ltd. The Applicant has also provided the details from their respective annual reports for the above companies that there are either no sales of Met Coke by the major captive producers or the sales are negligible by some of the producers as compared to their total production of captive Coke. In this regard, the Authority has seen from the evidence on record that prima facie these companies are primarily using Met Coke for their captive consumption and in some cases, their domestic sales are negligible as compared to their total production of captive Coke. Therefore, the captive producers are being treated as a separate category of producers and have been excluded from the purview of the current investigation while determining the domestic industry.

6. As per the information available on record, the production of the aforesaid five producers, i.e., Saurashtra Fuels Pvt. Ltd., Gujarat NRE Coke Ltd., Carbon Edge Industries Ltd., Bhatia Coke and Energy Ltd. and Basudha Udyog Pvt. Ltd. accounts for a major proportion of the total domestic production and is more than 50% of Indian production. The

Application has also been supported by three domestic producers, namely, Jindal Stainless Ltd., Shree Arihant Trade Links India Pvt. Ltd. and Ennore Coke Ltd.

7. The application, thus, satisfies the requirements of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the Anti-dumping Rules with regard to standing of the aforesaid five domestic producers and that they are treated as “domestic industry” within the meaning of Rule 2(b) supra.

#### **Countries involved**

8. The countries involved in the present investigation are Australia and China PR.

#### **Normal Value**

9. The applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy country and has determined the normal value in accordance with Para 7 and 8 of Annexure 1 of the Rules. In terms of Para 8 in Annexure 1 to the Rules, it is presumed that the producers of the subject goods in China PR are operating under non-market economy conditions. In view of the non-market economy presumption and subject to rebuttal of the same by the responding exporters, the normal value of the subject goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure 1 to the Rules. The applicant has determined the normal value based on cost of production in India, duly adjusted with selling, general and administrative expenses and reasonable profit.

10. As regards the normal value for Australia, the Applicant has submitted that efforts were made to get the information/evidence of the price of the subject goods in the domestic market of the subject country. However, the Applicant was not able to get such information. The Authority has, therefore, constructed the normal value for Australia on the basis of cost of production in India, duly adjusted.

#### **Export Price**

11. The applicant has claimed export price for the product under consideration for both the subject countries based on the transaction wise import data available from IBIS in India. Price adjustments have been made on account of customs handling & clearance charges in India, inland freight, ocean freight, custom handling & clearance charges and non-refundable portion of VAT (only for China PR).

#### **Dumping Margin**

12. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which show significant dumping margin in respect of the subject countries. There is sufficient prima facie evidence that the normal values of the subject goods in the subject countries are significantly higher than the ex-factory export price, indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries. There is sufficient evidence of the significant dumping margins to justify initiation of antidumping investigation.

#### **Injury and Causal Link**

13. The applicant has claimed that it has suffered material injury and has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping from the subject countries in terms of increase in imports in absolute terms and in relation to domestic production and domestic demand. The dumping from the subject countries has resulted into deterioration in sales, production, capacity utilisation, market share, inventories, number of employees, wages, profits, return on capital employed, cash profit etc. of the domestic industry.

14. The applicant has also claimed adverse price effects as evidenced by price suppression and price undercutting. The Authority considers that there is sufficient evidence of ‘injury’ being suffered by the applicants caused by dumped imports of the subject goods from the subject countries to justify initiation of an antidumping investigation.

#### **Period of Investigation**

15. The period of investigation (POI) is from April, 2014 to June, 2015 for the purpose of the present investigation. The injury investigation period will, however, cover the periods April 2011 - March 2012, April 2012 - March 2013, April 2013 - March 2014 and the POI.

#### **Submission of information**

16. The known exporters in the subject countries and their Governments through their Embassies in India, importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set out below. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time limit set out below. The information/submissions may be submitted to:

**The Designated Authority,  
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,  
Ministry of Commerce & Industry,  
Department of Commerce, Government of India  
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5, Parliament Street, New Delhi-110001**

17. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

**Time Limit**

18. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of the publication of initiation notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

19. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within forty days (40 days) from the date of the publication of initiation notification. The information must be submitted in hard copies as well as in soft copies.

**Submission of information on confidential basis**

20. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:-

(a) one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and

(b) the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).

21. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in five (5) sets of each.

22. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

23. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

24. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

25. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

26. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**Inspection of Public File**

27. In terms of Rule 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

**Non-cooperation**

28. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

A. K. BHALLA, Designated Authority